छत्तीसगढ़ शासन
मंत्रालय महानदी भवन,

--00—

क्रमांक/आर.टी.ई./निर्देश/ ESTB/11672/2026 नवा रायपुर, दिनांक /04/2026

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
   छत्तीसगढ़
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
   छत्तीसगढ़

विषयः- सी.बी.एस.ई. बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्यपुस्तक से अध्यापन बाबत्।

--00--

विभिन्न समाचार पत्रों एवं पालकों के माध्यम से विभाग/ शासन को सूचना प्राप्त हो रही है कि निजी विद्यालयों द्वारा एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तक के स्थान पर निजी प्रकाशकों की पुस्तकें क्रय करने हेतु विद्यार्थियों एवं पालकों को बाध्य किया जा रहा है।

इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि निजी विद्यालय जहां सीजी बोर्ड से संबद्धता प्राप्त कर अध्यापन कराया जाता है, वहां पहली से 10वीं तक पाठ्यपुस्तकें एस.सी.ई.आर.टी. की छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से प्रकाशित पुस्तकें विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रदाय किया जाता है। अतः इन विद्यालयों में विद्यार्थियों/पालकों को किसी अन्य प्रकाशकों की पुस्तके क्रय करने हेतु बाध्य नहीं किया जावे।

इसी प्रकार सी.बी.एस.ई. से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों में एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्यापन कराया जाता है। पालकों से प्रायः यह शिकायत प्राप्त होती है कि अशासकीय विद्यालयों द्वारा उन्हें दुकान विशेष से निजी प्रकाशकों की पुस्तकें खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है। अतः इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें:

1. कक्षा पहली से आठवीं तक निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है यह सभी विद्यार्थियों को शिक्षा सुलभ कराने की दृष्टि से लागू किया गया है। अतः कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों हेतु एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित पुस्तकें लागू करवायें ताकि पालकों पर निजी पुस्तकों का अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े।

2 कक्षा नवमी से 12 वीं के विद्यार्थियों हेतु किसी दुकान विशेष से निजी प्रकाशकों की पुस्तकें खरीदने हेतु बाध्य नहीं किया जाना सुनिश्चित करें।

3. गणवेश एवं स्टेशनरी किसी दुकान विशेष से खरीदने पालकों को बाध्य न किया जाना सुनिश्चित करें।

4. किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत के निपटारे हेतु एक पारदर्शी सिस्टम बनायें।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं करने वाले निजी विद्यालयों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
VIKAS SHEEL
Date: 24-04-2026
10:56:19

मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,

क्रमांक/आर.टी.ई./निर्देश/ ESTB/11672/2026 नवा रायपुर, दिनांक /04/2026

प्रतिलिपि

1.प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़
2. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा, छत्तीसगढ़
3. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर. छ.ग.
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Digitally signed by
FARIHA ALAM
Date: 24-04-2026
11:21:58

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग